

(तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 (THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES) REGULATIONS, 2016

## पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

## पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 019

## Certificate of Registration No. 019

- मेसर्स मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड तृतीय पक्ष प्रशासक का पंजीकरण बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के अधीन नवीकृत किया जाता है |
- The registration of M/s. Medsave Health Insurance TPA Limited is hereby renewed as per provisions of Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and IRDAI (TPA – Health Services) Regulations, 2016 to act as Third Party Administrator.
- 2. यह पंजीकरण 15-05-2023 से 14-05-2026 तक विधिमान्य होगा |
- 2. This Registration shall be valid from 15-05-2023 to 14-05-2026.
- 3. यह पंजीकरण इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि तृतीय पक्ष प्रशासक, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा |

स्थान : हैदराबाद

Place : Hyderabad दिनांक: **27-04-2023** 

Date: 27-04-2023

कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India